बिहार सरकार,
खाद्य,आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

(384)

पत्रांक-प्र06-विविध-30/2000-5171/आ0वा0,पटना-15, दिनांक-15.12.2000

प्रेषक,

श्री जी0 एस0 कंग,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत प्रायोजित अन्नपूर्णा योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-2433, दिनांक-2.6.2000,3237, दिनांक-24.7.2000 एवं 3807, दिनांक-5.9.2000 का कृपया निदेश करें । इन पत्रों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित अन्नपूर्णा योजना की सम्यक जानकारी देते हुए वर्त्तमान में लागू राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन पाने वालों की निर्धारित संख्या का अधिकतम 20 % ऐसे व्यक्तियों को जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्ति हेतु निर्धारित सभी अर्हताओं को शर्तों को पूरा करते हैं,ग्राम सभा/वार्ड सभा के माध्यम से प्रमाणित सूची के आधार पर निर्दिष्ट लक्ष्य के अनुरूप पहचान करने का निदेश दिया गया था ।

2- इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिये निम्नांकित निदेशों का अनुपालन अपेक्षित है :-

§1§ वृद्ध अनाश्रयों की नये सिरे से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे लाभान्वितों की संख्या के आधार पर निर्धारित 20% सीमा के अन्तर्गत लक्षित संख्या के अनुरूप पहचान करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्पष्ट मार्गदर्शन पूर्व में ही विभागीय पत्रांक-3807, दिनांक-5.9.2000 द्वारा आपको भेजा जा चुका है ।

§11§ भारत सरकार से योजना की राशि प्राप्त होने पर जिला के चयनित वृद्ध अनाश्रयों की संख्या के आधार पर भारतीय खाद्य निगम को आर्थिक मूल्य§विक्रय कर सहित§ इस विभाग द्वारा केन्द्रीय स्तर पर भुगतान किया जायगा जिसके साथ जिलों के लिये खाद्यान्न की उपावंटन सूची भी संलग्न रहेगा । उपावंटन सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी, जिला प्रबन्धक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कराकर जन-वितरण प्रणाली के दूकान के माध्यम से लाभान्वितों के बीच खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करायेंगे जन-वितरण प्रणाली के दूकानदारों द्वारा लाभान्वितों को आपूर्ति किये गये खाद्यान्न की

385

प्रतिष्ठित लाभान्वितों द्वारा प्रस्तुत उनके हकदारी कार्ड/पहचान कार्ड में किया जा.. जिला पदाधिकारी के स्तर से प्रत्येक उचित मूल्य दूकानों के माध्यम से वितरण कराये ग.. खाद्यान्न की मासिक विवरणी विभागीय मुख्यालय को प्रेषित की जायगी । इस योजना न्तर्गत जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम द्वारा उचित मूल्य के दूकानों को देय मार्जिन म (कमीशन) का भुगतान लक्षित जन-वितरण प्रणाली अन्तर्गत देय मार्जिन मनी के अनुरूप किया जायगा ।

(III) जिला पदाधिकारी को इस कार्य के लिये परिवहन व्यय के रूप में 0.50 पै0 प्रति किलो की दर से राशि की प्रतिपूर्ति की जायगी । इस कार्य के लिये जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय परिवहन व्यय का दर विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जायगा और इस मद की राशि की दावा के लिये जिला पदाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र ।। में माहवार भेजा जायगा । प्रारम्भ में इस मद में उपलब्ध करायी गयी राशि से जिला पदाधिकारी अग्रिम रूप में खर्च करेंगे जिसकी प्रतिपूर्ति उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरांत की जायगी ।

(IV) मुख्यालय से आवंटन के आधार पर जिला प्रशासन के स्तर से जन-वितरण प्रणाली की दूकानों के बीच अलग से उपावंटन आदेश निर्गत किया जायगा ।

(V) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से प्रखण्ड स्तर तथा दूकान स्तर तक खाद्यान्न पहुँचाने एवं लाभान्वितों के बीच वितरण कराने की मुख्य जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी की होगी । इस कार्य के लिये प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/आपूर्ति पदाधिकारी या जिसे उचित एजेन्सी के रूप में समझें, को एजेन्सी रूप में ले सकते हैं ।

(VI) सभी उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करने में यदि व्यावहारिक कठिनाई हो तो पर्याप्त संख्या में उचित मूल्य की दूकानों का अविलम्ब चयन कर कर्णांकित कर लेना होगा । चयन में इस बिन्दु का ध्यान रखना होगा कि वृद्ध अनाश्रय लाभान्वितों को खाद्यान्न प्राप्ति के लिये अधिक दूरी नहीं तय करना पड़े ।

(VII) इस योजना के कार्यान्वयन में लाभान्वितों, जिनकी संख्या वर्त्तमान में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं का अधिकतम 20% होगा, को विशेष कार्ड/हकदारी कार्ड उपलब्ध कराना है । एकरूपता की दृष्टिकोण से विशेष कार्ड/हकदारी कार्ड उजला (लेमिनेटेड) होगा जो न्यूनतम प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के हस्ताक्षर से सत्यापित एवं लाभान्वित के फोटोयुक्त होगा । विशेष कार्ड/हकदारी कार्ड की आपूर्ति मुख्यालय को छपवाकर जिलों में प्राप्त लाभान्वितों की सूची के आधार पर की जायगी । लाभान्वितों के बीच विशेष कार्ड/हकदारी कार्ड का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड सभा के माध्यम से किया जायगा । कार्ड की छपाई पर हुए व्यय का सामंजन प्रशासनिक व्यय के लिये उपलब्ध कराये गये कुल खर्च का अधिकतम 3% राशि से किया जायगा ।

(VIII) ...

नेः